वासुदेव

बनाम

एम. पी. का राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 388) 1 फरवरी, 2022

/

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.307/34 – शस्त्र अधिनियम -s. 3/25 (1B) (a) और s.27/34 – विचारण न्यायालय का मामला कि उप-निरीक्षक (पीडब्लू-6) एसडीओपी (पीडब्लू-10) के साथ एक गाँव में सूचना मिलने पर पहुँचा कि एक फरार आरोपी 'आर' अपने सहयोगी सदस्यों के साथ छिपा हुआ है-आरोपी व्यक्ति एक घर में छिपे हुए हैं-पीडब्लू-10 ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी-हालाँकि, आरोपी व्यक्तियों ने घर के अंदर से पुलिस पर गोलियां चला दीं-पुलिस दलों से जवाबी कार्रवाई के बाद, आरोपी 'आर' ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की-तदनुसार, आरोपी 'आर' ने आरोपी/अपीलकर्ता के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया-आत्मसमर्पण करने के बाद, 'आर' से एक 315 बोर की राइफल के साथ 19 जीवित कार्ट्रिज और 5 खाली कार्ट्रिज बरामद किए गए और एक 12 बोर की डबल बैरल बंदूक के साथ 20 जीवित कार्ट्रिज और 7 खाली कार्ट्रिज बरामद किए गए। 307/34 भारतीय दंड संहिता आर/डब्ल्यू।s.3/25 (1B) (a) और s।27 शस्त्र अधिनियम-पीड़ित, दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च विचारण न्यायालय में अपील दायर की-अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त 'आर' की मृत्यु हो गई और उसकी अपील को निरस्त कर दिया गया-उच्च विचारण न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि की और अपीलकर्ता/अभियुक्त की शेष अपील खारिज कर दी गई-अपील पर आयोजित; अभियोजन पक्ष के गवाहों पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-10, पीडब्लू-14 और पीडब्लू-16 की गवाही के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगी के साथ एक घर में छिपने की जानकारी प्राप्त हुई थी, हालांकि, उनके बयानों में यह नहीं कहा गया है कि अपीलकर्ता उसके साथ था-इसके अलावा, प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-5 ने कहा कि गोलीबारी की गई थी।

/

/

/

/

/

/

514

515

वासुदेव बनाम एम. पी. राज्य

तीन स्वतंत्र गवाहों, पीडब्लू-7, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-13 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया-इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, 12 बोर की बंदूक का दाहिना बैरल, आग नहीं लगाई जा सकी और खाली कैटरीज, जो प्राप्त हुए थे, बाएं बैरल से नहीं दागे गए थे-इसलिए, 12 बोर की बंदूक का उपयोग साबित नहीं हुआ है-इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एस के तत्व।307/34 भारतीय दंड संहिता सी. और एस.27 शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी का अपराध साबित हुआ-विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी यू/एस को दोषी ठहराने में त्रुटि की।307/34 भारतीय दंड संहिता सी. आर/डब्ल्यू. एस.27 शस्त्र अधिनियम-इसलिए, उक्त आरोपों के लिए दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है, सिवाय आरोप के।शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ख) (क)।

/

/

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :सबसे पहले, यह देखना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा **307** के अंतर्गत अपराध को साबित करने के लिए कौन से तत्व हैं। प्रावधानों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि जो कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है, इरादे या ज्ञान के साथ, जो मृत्यु का कारण बन सकता है और उक्त इरादे और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, वह इसके लिए एक कार्य कर रहा था।हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य से यह देखने की आवश्यकता है कि क्या साबित करने के लिए सामग्री, उचित संदेह से परे अभियोजन का मामला, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा **307/34** के अंतर्गत आरोप स्थापित किया गया है।इस संबंध में अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाह एएसआई (पीडब्लू **4),** एच. सी. (पीडब्लू **5),** एसडीओपी (पीडब्लू **10),** एच. सी. (पीडब्लू **14),** एस. आई. हैं।

(पीडब्लू**15)** और एस**.** आई**. (**पीडब्लू**16)**।उनकी गवाही के अनुसार**,** यह स्पष्ट है कि मृतक आरोपी 'आर' द्वारा अपने सहयोगियों के साथ गाँव महोई काला के एक घर में छिपे होने की सूचना मिली थी।उनके बयानों में यह नहीं कहा गया है कि अपीलार्थी उनके साथ था।पास के पुलिस थानों के पुलिस कर्मियों को गाँव महोई काला में बुलाया गया।इसके बाद**, S.D.O.P** के आदेश के अंतर्गत । **(**पीडब्लू**10),** पुलिस दल अभियुक्त को पकड़ने के लिए तैयार थे। पुलिस दलों को अलग**-**अलग दिशाओं में प्रतिनियुक्त किया गया और 'आर' को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई।इस तरह की चेतावनी पर**,** जैसा कि उन्होंने कहा**,** घर के अंदर से गोलीबारी की गई।एच**.** सी**. (**पीडब्लू**5)** ने जिरह में स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त गोलीबारी पहाड़ी क्षेत्र की ओर थी न कि पुलिस दल की ओर।उक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी ने भी अपीलार्थी को इरादे या जानकारी के साथ पुलिस दल पर गोलीबारी करते नहीं देखा है

/

/

/

/

/

/

अपराध करना**,** अपना अपराध साबित करना।इसके बाद**,** जैसा कि आरोप लगाया गया था**,** 'आर' और अपीलार्थी ने बंदूकों के साथ पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।उक्त गवाही के अनुसार**,** यह स्पष्ट है कि पुलिस पक्ष के प्रति उनके द्वारा एक कार्य करने का इरादा और ज्ञान उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।साथ ही**,** अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के अनुसार**,** यह रिकॉर्ड में आया है कि गिरफ्तारी**,** जब्ती सहित सभी कार्यवाही पुलिस स्टेशन में तैयार की गई है**,** न कि मौके पर।हालाँकि**,** अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव प्रशंसनीय प्रतीत होता है**,** और अभियोजन द्वारा अपराध साबित करने में उचित संदेह पैदा करता है।यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि तीन स्वतंत्र गवाह पीडब्लू **7,** पीडब्लू **8** और पीडब्लू **13,** जिनके घर की घटना हुई थी**,** ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था।अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के अनुसार**,** यह स्पष्ट है कि एक 'एसएस' मौके पर मौजूद था।उनके एस**.** एच**.** ओ**.** के साथ अच्छे संबंध थे और 'आर' के साथ शत्रुतापूर्ण थे।हालाँकि**,** स्वतंत्र व्यक्ति होने के नाते**,** उनकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा जब्ती और गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई**,** यह समझाया नहीं गया है और अत्यधिक संदिग्ध है।यद्यपि किसी भी कार्यवाही में कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं है।उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए केवल यह कहा कि क्योंकि अभियुक्त बेशकीमती गुंडे थे और फरार थे और बयान के अनुसार**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी संख्या **2** शामिल नहीं था क्योंकि उसे

मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस थाने ले जाया गया था।इस संबंध में, यह अवलोकन करना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक है और दोषसिद्धि केवल अभियुक्त की उपस्थिति को खारिज करने के लिए अनुमान के आधार पर नहीं हो सकती है।यह आगे अवलोकन करने के लिए है कि एफएसएल रिपोर्ट एक्सबी के अनुसार। पी**-17** ए, यह स्पष्ट है कि **12** बोर की बंदूक के दाहिने बैरल से, एक्सबी। ए**-2,** आग नहीं लगाई जा सकी और खाली कारतुस, जो प्राप्त हुए थे, बाएं बैरल से नहीं दागे गए हैं।इसलिए, अपीलार्थी से जब्त की गई **12** बोर की बंदूक का उपयोग जीवित और खाली गोलियों के साथ साबित नहीं होता है।चूँकि बंदूक का उपयोग स्वयं एफ**.** एस**.** एल**.** रिपोर्ट द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए शस्त्र अधिनियम की धारा **27** के अंतर्गत दोषसिद्धि भी उचित नहीं है।इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में, धारा **307/**ए के तत्व

/

/

/

/

/

/

/

517

वासुदेव बनाम एमपी राज्य

34 भारतीय दंड संहिता सी**.** और शस्त्र अधिनियम की धारा **27** को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है, जिससे आरोपी/अपीलार्थी का अपराध साबित होता है।**[**पैरा **7] [520-**सी-एच**; 521-**ए-जी**]**

परशुराम पांडे **6** और अन्य बनाम बिहार राज्य, आकाशवाणी

2004 एससी **5068:[2004] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 475-**संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[2004] 5 पूरक।पैरा **5** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 475**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2021 की आपराधिक अपील No.388।

/

सी. आर. में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 14.02.2020 के निर्णय और आदेश से। 2009 का ए. No.622।

एच. के. चतुर्वेदी, सुश्री अंजलि चतुर्वेदी, सागन चतुर्वेदी, सुश्री मेघा चतुर्वेदी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

मुकल सिंह, अंकित मिश्रा, गोपाल झा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की आपराधिक अपील संख्या 622 में पारित दिनांक 14.02.2020 के निर्णय से, जबलपुर की न्यायपालिका ने 6 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), छतरपुर द्वारा पारित 2006 की धारा संख्या 185 में दिनांकित 7.3.2009 के निर्णय की पुष्टि करते हुए, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसमें रिकॉर्ड के लिए बुलाने का निर्देश देते हुए अनुमति दी गई थी।हालाँकि, इस अपील को दर्ज किया गया है और प्राथमिकता के आधार पर सुना गया है क्योंकि अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक है।

/

/

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि आई. डी. 1 पर उप-निरीक्षक आर. एस. बागड़ी (पी. डब्ल्यू. 6) उप-मंडल अधिकारी डॉ. संजय अग्रवाल (पी. डब्ल्यू. 10) के साथ गांव महोई काला पहुंचे जब उन्हें पुलिस स्टेशन सरवाई में सूचना मिली कि फरार आरोपी राजेश शुक्ला उक्त गांव में अपने सहयोगी सदस्यों के साथ छिपा हुआ है।यह भी बताया गया कि आरोपी राजेश शुक्ला उक्त गांव के झल्लू कच्छी के घर के बगल में था।पास के पुलिस थानों के पुलिस कर्मियों को गाँव महोई काला में बुलाया गया।इसके बाद, S.D.O.P की अंतर्गत ान में डॉ.

/

/

/

संजय अग्रवाल (पीडब्लू10), पुलिस दल अभियुक्त को पकड़ने के लिए तैयार थे।पुलिस दलों ने झल्लू कच्छी के घर को घेर लिया।डॉ. संजय अग्रवाल (पीडब्लू10) ने अभियुक्त व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने और झल्लू कच्छी के घर से बाहर निकलने की चुनौती दी।आरोपी राजेश शुक्ला ने आत्मसमर्पण नहीं किया और घर के अंदर से पुलिस कर्मियों पर गोलियां चला दीं।पुलिस दलों ने जवाबी गोलीबारी की।कुछ समय बाद आरोपी राजेश शुक्ला ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की।तदनुसार, आरोपी राजेश शुक्ला ने आरोपी/अपीलार्थी वासुदेव शुक्ला के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपी राजेश शुका के पास से एक 315 बोर की राइफल के साथ 19 जिंदा कारतुस और 5 खाली कारतुस बरामद किए गए, जबकि आरोपी वासुदेव शुक्ला के पास से एक 12 बोर की डबल बैरल बंदूक के साथ 20 जिंदा कारतुस और 7 खाली कारतुस बरामद किए गए।पहली जानकारी एक्स. बी. के रूप में दर्ज की गई थी। पी-18।आत्मसमर्पण करने वाले हथियारों को जीवित कारतुस एक्सबी के साथ पुलिस स्टेशन में जब्त कर लिया गया था। पी-4 से पी-6।आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी पंचनामा परीक्षा के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। पी9 और पी10। जांच पूरी होने के बाद चालान दाखिल किया गया।चूंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए यह सक्षम अदालत के लिए प्रतिबद्ध था, जहां दोनों अभियुक्तों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 (1B) (a) और धारा 27/34 के साथ पठित धारा 307/34 के अंतर्गत आरोप विरचित गए थे।अभियुक्तों ने अपना अपराध छोड़ दिया और झूठे निहितार्थ का बचाव करते हुए मुकदमे की मांग की।अपीलार्थी-वासुदेव ने विशेष रूप से बचाव किया कि जेल से वापस आने के बाद, उन्होंने अपने बेटे राजेश को पी. एस. सरवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था।पुलिस कर्मियों ने पुलिस स्टेशन में बैठकर एक झूठा मामला तैयार किया है, जिसमें अपीलार्थी और सी-आरोपी राजेश शुक्ला को इस मामले में फंसाया गया है।

/

/

/

/

3. अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से पूछताछ की है, जबकि आरोपी ने बचाव में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की है।विचारण न्यायालय ने गवाहों के बयान को संदर्भित करने के बाद आरोपी व्यक्तियों को यह बहाना बनाकर दोषी ठहराया कि वे आत्मसमर्पण के लिए पुलिस पक्ष की चुनौती के बारे में जानते थे।आत्मसमर्पण करने के बजाय, अभियुक्त व्यक्तियों ने गोलियां चलाईं, जिसका पुलिस दल ने जवाब दिया।कुछ समय बाद दोनों अभियुक्तों ने अपनी बंदूकें फेंकते हुए आत्मसमर्पण कर दिया था।विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह से जब्त की गई बंदूकें गोलीबारी कर सकती हैं और इस्तेमाल किए गए और बिना इस्तेमाल किए गए 310 बोर के कारतुस के साथ-साथ 12 बोर की डबल बैरल बंदूक जब्त की गई, जिसे एफएसएल रिपोर्ट

एक्सबी से समर्थन मिलता है। उक्त बंदूकों के उपयोग के संबंध में पी-17 ए।चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों के पास बंदूकें थीं, बिना किसी लाइसेंस के, इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 3/25 (1 बी) (ए) और ए की धारा 27 के अंतर्गत आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया है।

/

/

/

519

वासुदेव बनाम एम. पी. राज्य [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

शस्त्र अधिनियम और चार साल के लिए आर. आई. से गुजरने का निर्देश दिया। 2, 000/- और आर. आई. रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के लिए। 1000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के लिए आर. आई. 1000 क्रमशः डिफ़ॉल्ट वाक्यों के साथ।न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि उपरोक्त सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी।4. निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय को 2009 की आपराधिक अपील संख्या 622 दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।चूंकि अपीलार्थी राजेश शुक्ला की मृत्यु आई. डी. 1 पर हुई थी, इसलिए उनकी अपील को निरस्त कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी वासुदेव शुक्ला की अपील को खारिज कर दिया गया है, जो विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करती है।

/

5. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री एच. के. चतुर्वेदी ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतक सह-आरोपी राजेश शुक्ला कथित तौर पर अपीलार्थी के बजाय झल्लू कच्छी के घर में छिपा हुआ था।अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपीलार्थी को हत्या करने का इरादा और जानकारी रखते हुए उन पर गोली चलाते हुए नाम नहीं दिया है और न ही देखा है।जब्ती एक्स. बी. के अनुसार। उसके पास से पी-5,12 बोर की डबल बैरल बंदूक, 20 जिंदा कारतुस और 7 खाली कारतुस बरामद किए गए।एफ. एस. एल. रिपोर्ट एक्स. बी. पी-17 ए स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक्सबी के लिए फायरिंग पिन छाप के लिए टी. सी. (ए. 2 एल. बी.) का मिलान करने में असमानता थी। ईसी 6,7,8,9,12।इसलिए, उन पांच गोलियों को 12 बोर की बंदूक एक्सबी के बाएं बैरल से नहीं दागा गया था। ए-2।इसी तरह, 12 बोर की बंदूक एक्सबी का दाहिना बैरल। ए-2 का उपयोग गोलीबारी में नहीं किया गया था क्योंकि इसे काटा और छोटा किया गया था जिससे हथियार का गोलियों से मिलान नहीं किया जा सकता था।यह भी आग्रह किया जाता है कि गवाहों की गवाही के अनुसार, यह स्पष्ट है कि उन्होंने किसी भी आरोपी को पुलिस दल पर गोली चलाते नहीं देखा था।यह कहा जाता है कि आग का उद्देश्य पहाड़ी की ओर था न कि आरोपी व्यक्तियों की ओर, जैसा कि एच. सी. अकबर

सिंह गौर (पीडब्लू5) के बयान से स्पष्ट है।ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष एक ऐसा कार्य करने के इरादे और ज्ञान को साबित करने में विफल रहा है जो हत्या के प्रयास के अपराध के कृत्य के बराबर हो सकता है।इसके अभाव में, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307/34 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के तय किए गए प्रस्ताव के विपरीत है। उनके तर्क के समर्थन में, परशुराम पांडे और अन्य बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 5068 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।यह भी आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थी से जब्त की गई 12 बोर की बंदूक के दाहिने बैरल को काटकर छोटा कर दिया गया था, जिससे इस हथियार से गोली चलाना असंभव हो गया था और खाली गोलियों को बाएं बैरल से नहीं दागा गया था जैसा कि एफएसएल से स्पष्ट है।

/

/

/

/

/

/

520

/

[2022] 1 एस सी आर।

रिपोर्ट करें एक्सबी। पी-17 ए। इसलिए, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध नहीं बनाया गया है।यह मानते हुए भी कि धारा 25 के अंतर्गत अपराध (1 -बी) (ए) निर्धारित किया जाता है, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा दो साल की होती है, जिसे अपीलार्थी पहले ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पूरा कर चुका है।इसलिए, धारा 307/34 और 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा अपास्त करते हुए ते हुए, अपीलार्थी को रिहा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

/

6. इसके विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री मुकुल सिंह प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को सही तरीके से दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है, हालांकि इस अपील में हस्तक्षेप भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में आवश्यक नहीं है।

/

7. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले, यह देखने की आवश्यकता है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध को साबित करने के लिए क्या तत्व हैं। प्रावधानों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि जो कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है, इरादे या ज्ञान के साथ, जो मृत्यु का कारण बन सकता है और उक्त इरादे और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, वह इसके लिए एक कार्य कर रहा था।हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य से यह देखने की आवश्यकता है कि क्या साबित करने के लिए सामग्री, उचित संदेह से परे अभियोजन का मामला, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307/34 के अंतर्गत आरोप स्थापित किया गया है।इस संबंध में अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाह ए. एस. आई. जे. पी. वर्मा (पीडब्लू 4), एच. सी. अकबर सिंह गौर (पीडब्लू 5), एस. डी. ओ. पी. डॉ. संजय अग्रवाल (पीडब्लू 10), एच. सी. उदय राज सिंह (पीडब्लू 14), एस. आई. अरविंद सिंह डांगी (पीडब्लू 15) और एस. आई. आर. एस. बागड़ी (पीडब्लू 16) हैं।उनकी गवाही के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक आरोपी राजेश शुक्ला द्वारा अपने सहयोगियों के साथ गाँव महोई काला के झल्लू कच्छी के घर में छिपे होने की सूचना मिली थी।उनके बयानों में यह नहीं कहा गया है कि अपीलार्थी उनके साथ था।पास के पुलिस थानों के पुलिस कर्मियों को गाँव महोई काला में बुलाया गया। इसके बाद, डॉ. संजय अग्रवाल (पीडब्लू10) की अंतर्गत ान में, पुलिस दल अभियुक्तों को पकड़ने के लिए तैयार थे।पुलिस दलों को अलग-अलग दिशाओं में तैनात किया गया और राजेश शुक्ला को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई।इस तरह की चेतावनी पर, जैसा कि उन्होंने कहा, झल्लू कच्छी के घर के अंदर से गोलीबारी की गई।एच. सी. अकबर सिंह गौर (पीडब्लू5) ने जिरह में स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त गोलीबारी पहाड़ी क्षेत्र की ओर थी न कि पुलिस दल की ओर।उक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी ने भी अपीलार्थी को अपराध करने के इरादे या ज्ञान के साथ पुलिस दल पर गोलीबारी करते हुए नहीं देखा है, जिससे उसका अपराध साबित होता है।इसके बाद, जैसा कि आरोप लगाया गया है, राजेश ए

/

/

/

/

/

शुक्ला और अपीलार्थी ने बंदूकों के साथ पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।उक्त गवाही के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पुलिस पक्ष के प्रति उनके द्वारा एक कार्य करने का इरादा और ज्ञान उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।साथ ही, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के अनुसार, यह रिकॉर्ड में आया है कि गिरफ्तारी, जब्ती सहित सभी कार्यवाही पुलिस स्टेशन में तैयार की गई है, न कि मौके पर।हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव प्रशंसनीय प्रतीत होता है, और अभियोजन द्वारा अपराध साबित करने में उचित संदेह पैदा करता है।यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि तीन स्वतंत्र गवाह शिवनाथ अनुरागी (पीडब्लू 7), बर्रा (पीडब्लू 8) और झल्लू कच्छी (पीडब्लू 13), जिनके घर की घटना हुई थी, ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था।अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के अनुसार, यह स्पष्ट है कि संतोष शुक्ला मौके पर मौजूद थे।उसके एस. एच. ओ. के साथ अच्छे संबंध थे और आरोपी राजेश शुक्ला के साथ दुश्मनी थी।हालाँकि, स्वतंत्र व्यक्ति होने के नाते, उनकी उपस्थिति में पुलिस द्वारा जब्ती और गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, यह समझाया नहीं गया है और अत्यधिक संदिग्ध है।यद्यपि किसी भी कार्यवाही में कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं है।उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए केवल यह कहा कि क्योंकि अभियुक्त बेशकीमती गुंडे थे और फरार थे और बयान के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी संख्या 2 शामिल नहीं था क्योंकि उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस थाने ले जाया गया था।इस संबंध में, यह अवलोकन करना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक है और दोषसिद्धि केवल अभियुक्त की उपस्थिति को खारिज करने के लिए अनुमान के आधार पर नहीं हो सकती है।यह आगे अवलोकन करने के लिए है कि एफएसएल रिपोर्ट एक्सबी के अनुसार। पी-17 ए, यह स्पष्ट है कि 12 बोर बंदूक के दाहिने बैरल से, एक्सबी। ए-2, आग नहीं लगाई जा सकी और खाली कारतुस, जो प्राप्त हुए थे, बाएं बैरल से नहीं दागे गए हैं।इसलिए, अपीलार्थी से जब्त की गई 12 बोर की बंदूक का उपयोग जीवित और खाली गोलियों के साथ साबित नहीं होता है।चूँकि बंदूक का उपयोग स्वयं एफ. एस. एल. रिपोर्ट द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि भी उचित नहीं है।इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय में, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा <आई. डी. 1 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किए गए हैं, जिससे अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध साबित होता है।

/

/

/

/

/

/

8. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 27 शस्त्र अधिनियम के साथ पठित धारा 307/34 के अंतर्गत आरोप के लिए दोषी ठहराने में त्रुटि की। इसलिए, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और उक्त के लिए दोषसिद्धि और सजा निर्धारित करते हैं।

/

522

/

[2022] 1 एस सी आर।

शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 बी) (ए) के अंतर्गत आरोप को छोड़कर, उसी के लिए अपीलार्थी को आरोपमुक्त कर दें। अपीलार्थी शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 बी) (ए) के अंतर्गत आरोप के लिए सजा काट चुका है, इसलिए, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए।

9. तदनुसार, इस अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात जाती है और उसका निपटारा किया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/

/

/

/

/

/